

छुट्टी की अर्जी का फार्म
(अनुपूरक नियम 216 देखिये)



GOVT. COLLEGE, JHANSI-2
DISTT. BILASPUR (M.P.)

टिप्पणी :- मद संख्या 1 से 11 प्रत्येक को भरनी चाहिये, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित

1. प्रार्थी का नाम ::
 2. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली ::
 3. पद ::
 4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग ::
 5. वेतन ::
 6. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता, या अन्य प्रतिकर भत्ते । ::
 7. मांगी गई छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने की तारीख । ::
 8. रविवार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो जिन्हें छुट्टी के पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं । ::
 9. छुट्टी का कारण ::
 10. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म तथा अवधि ।
 11. मेरा विचार आगामी छुट्टी में के खण्ड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा का रियायत लेने का है/नहीं है
- (क) मैं वचन देता हूँ कि औसतन वेतन छुट्टी परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गये छुट्टी वेतन और आधे औसतन वेतन/अर्ध-वेतन की छुट्टी मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम को वापिस कर दूँगा जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ख) (ii) संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11 (ग)(iii) के लागू होने पर अनुमत्य न होती ।
- (ख) मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्याग-पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सकूँ जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो अग्रिम छुट्टी के दौरान जो मूल नियम 81 (ग) संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम (घ) के लागू न किये जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छुट्टी के वेतन को वापिस कर दूँगा ।

दिनांक

प्रार्थी के हस्ताक्षर